राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2230/2008/जयपुर.

सहायक आयुक्त, वृत–'एच', जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स माली राम पूरण मल,
हल्दियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 05/04/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 916/अपील्स–।।/ आरएसटी/जयपुर/एच/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर, वृत–एच जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2002 के द्वारा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 77(8) के तहत आरोपित शास्ति राशि रूपये 1,32,832/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आयकर विभाग द्वारा प्रत्यर्थी व्यवसायी फर्म का दिनांक 07.01.2002 को सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के दौरान व्यवसायी फर्म के व्यवसाय स्थल पर रूपये 11,55,061/– के जवाहरात बिना जमा खर्च के अघोषित पाये गये। इस संबंध में आयकर विभाग द्वारा सशक्त अधिकारी को सूचित करते हुए सर्वेक्षण रिपोर्ट भेजी गयी। तत्पश्चात सशक्त अधिकारी द्वारा उपरोक्त अघोषित माल के संबंध में प्रत्यर्थी व्यवसायी फर्म को नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवसायी फर्म द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 77(8) के तहत अघोषित माल पर रूपये 1,32,832/– की शास्ति आरोपित की गई। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11.01.2008 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

लगातार.....2

3. प्रत्यर्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा। अतः राजस्व पक्ष की एकतरफा बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. राजस्व पक्ष की एकतरफा बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में आयकर विभाग द्वारा प्रत्यर्थी व्यवसायी फर्म का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के दौरान व्यवसायी फर्म के व्यवसाय स्थल पर रू0 11,55,061/– का जवाहरात माल बिना जमा खर्च के अघोषित पाया गया। इस संबंध में आयकर विभाग द्वारा सशक्त अधिकारी को सूचित करते हुए सर्वेक्षण रिपोर्ट भेजी गयी। सशक्त अधिकारी द्वारा आयकर विभाग की सूचना के आधार पर ही उपरोक्त अघोषित माल के संबंध में प्रत्यर्थी व्यवसायी फर्म को नोटिस जारी किया जाकर शास्ति का आरोपण किया गया है, जबकि सशक्त अधिकारी का ये दायित्व था कि वे स्वयं लेखा पुस्तकों से जांच करते। इस प्रकार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण में स्वयं के स्तर पर कोई जांच किये बिना शास्ति का आरोपण किया गया है, जिसे न्यायोचित नहीं माना जा सकता। अतः अपीलार्थी राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण सक्षम अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे स्वयं प्रत्यर्थी व्यवहारी की लेखा–पुस्तकों एवं आयकर विभाग द्वारा सर्वे के दौरान अभिग्रहित किये गये दस्तावेजों की नियमानुसार जांचकर एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधिसम्मत आदेश पुनः पारित करें।

6. परिणामतः अपीलार्थी राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष